Mionie contr
SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OFJ.M.E.C. Gonad, DIST. BHIND (M.P)
Case No. 1. 2. 8. 1. 2. A Complaint or report madeon
का अस्ति अस्ति
Case No Case No
THE PARTY WATER
Name and address of the Complainant.
······································
Name , parentage, caste and address of accused
बद्रजीतं प्रष्ठ हरनारायम् राहीए वस्त 45 साल मि. अवाबासा कि वर्गह
वज्ञात येत हरनारामहाराहा ८ वस के वाल कि मारामहासा कि गाहि
Total Control of the
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 23.69/2 को समय लगमग 1.60 बजे, स्थान प्रेटांबर निराहा में वाहन क0 को बिना क्याउसिस , परिनिय की की का चलाया और
गेटाया निराहा में वाहन कि
को बिना लाउमान , पराम 2 वर्ग की ती कि कल्लिक के चलाया और
इस प्रकार आपने एँसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की घारा 66/192 A, 3/181 12.V Act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
66/192 A 3/181 12. V Act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के सज्ञान में आता है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
THE FOUND IN THE POPULATION OF
Judiciae Magistrate Einst Clas
The plea of the accused and his examination (if any) Gohad wistt. Blind (M.P.)
अपराध स्वेच्छ्या स्वीकार है।
O a CRIA
ARMA)
Judicial Magistrate First Class
Gohad dismishind (M.E.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 23.04.17 को घोषित)

01 आरोपी को स्वेच्छिक सस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की
धारा . 66/192 A 3/101 17-V Acs के तहत
दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अमिलेख पर कोई
पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखित नहीं है। अत आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी इन्द्रजीत यूत्र हरन्रायन। राहीट युक्त 45 माला मि अजनास
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/132A, 3/18/190.VACL के
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमषः राशि रूपये
मुल डो ध्पार पांच मी का (2500/-) के
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
अर्थदण्ड सदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को । । दिवस की
भवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
4 जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन क्व
सकं पजीकत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magastrate First Class